न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-22RAAJodhpur2025-15RTA223 Nirama Devi Vs Rima etc

निरमा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार जाति विश्नोई, निवासी– नेवा तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. रीमा पत्नी श्री विकास
2. विकास पुत्र श्री दौलाराम
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण– नेवा, तहसील बाप, जिला फलोदी।
3. अन्नीदेवी पत्नी श्री किसनाराम, जाति विश्नोई, निवासी– राणेरी, तहसील बाप, जिला फलोदी।
4. लीला देवी के कायम मुकामः–
   4.1. रामनारायण पुत्र श्री जीवणराम, जातियान् विश्नोई, निवासी– नेवा, तहसील बाप, जिला फलोदी।
5. किसनाराम पुत्र श्री धीमाराम
6. गुड्डी देवी पत्नी श्री हनुमानराम
7. नेमादेवी पत्नी पप्पूराम
   जातियान् विश्नोई, निवासी– नेवा, तहसील बाप, जिला फलोदी।
8. रूखी पत्नी बगडूराम, जाति विश्नोई, निवासी– विष्णुनगर लोहावट, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
9. शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बाप।
10. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा फलोदी।
11. शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक शाखा फलोदी।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 दिसंबर 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व मूल वाद संख्या 63/2024 रीमा व अन्य बनाम अन्नी देवी इत्यादि

उपस्थित–

श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 23 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63/2024 अनवान रीमा व अन्य बनाम अन्नी देवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 दिसंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 834/2 रकबा 7.3248 हैक्टेयर, खसरा नं. 807/2 रकबा 19.0445 हैक्टेयर ग्राम नेवा तहसील बाप के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये साधारण सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये गये, किंतु वादी अधिवक्ता द्वारा बिना किसी आदेश प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेज कर पोस्टल रसीदे पेश कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा सीपीसी में निहित प्रावधानों के विपरीत उक्त पोस्टल रसीदों के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध गलत तामील मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण से जवाब लिये बिना तथा उभय पक्ष की बिना साक्ष्य के ही वाद को स्वीकार कर लिया गया, जबकि बिना प्रदर्श मार्क करवाया गया दस्तावेज कानूनन पढे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय, विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री दिनांक 17 दिसंबर 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जावे कि वह सभी खातेदारों एवं पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट की अपील को स्वीकार किया तथा अपनी स्वीकारोंक्ति स्वरूप आदेशिका में हस्ताक्षर किये। रेस्पोडेंट संख्या एक अधिवक्ता ने निवेदन किया अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है तो रेस्पोडेंट संख्या दो को कोई आपत्ति नहीं है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इस संबंध में रेस्पोडेंट संख्या दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह ही मूल वाद में वादी है। रेस्पो. अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु मामला प्रतिप्रेषित प्रेषित किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उभय पक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63/2024 अनवान रीमा व अन्य बनाम अन्नी देवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 दिसंबर 2024 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट सहित उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत तीन माह की अवधि में मामले विधिनुसार पुनः निस्तारण करे। तब

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तक उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर